सेवा में –

माननीय अध्यक्ष महोदय
राष्ट्रीय हरित अधिकरण
फरीदकोट नई दिल्ली
भारत पिन– 110001

दिनांक– 21/05/2025

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 नं0– 1334/2024 , मनीष कुमार बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य के सम्बंध में–

महोदय–

सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी मनीष कुमार पुत्र स्व0 राजनरायन ग्राम–बियाहुर भगौती देई पो0– अधवार थाना– अहरौरा, तहसील– चुनार, जनपद– मिर्जापुर उ0प्र0 का स्थाई और उपरोक्त ओ/ए सं0– में आवेदक है महोदय विपक्षी किरन देवी द्वारा दिव्यांश कंश्ट्रक्शन के नाम से एक खनन पट्टा संचालित कर रहीं है जहॉ कोई स्थाई सिमांकन बोर्ड नहीं लगा है साथी ही इनके द्वारा खनन कराए गए खदानों में लगभग 150–200 फीट खहराई तक खनन हुआ है और कहीं पर बाउण्ड्री नहीं है ना ही किसी अन्य तरीके से घेरा गया है इनके द्वारा आस–पास के क्षेत्र में ए बी लिखकर बोर्ड लगाकर खनन कार्य किया जाता है फिर बोर्ड हटाकर दूसरे जगह लगाकर खनन कार्य किया जाता है जिसमें खनन विभाग व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारीयों कि भी मिलिभगत होती है। जिसकी जॉच माननीय न्यायाधिकरण द्वारा अपने स्वतंत्र अधिकारीयों के माध्यम से कराएं तो सब सच्चाई सामने आजाएगी। महोदय स्थानीय अधिकारीयों द्वारा जो स्थलीय निरीक्षण की बात कही गई है और रिपोर्ट भेजी गई है जिसमें स्पष्ट रुप से कहा गया है कि

1–इनके द्वारा कोई पौधरोपण नहीं किया गया है लेकिन पहले से ही कुछ पौधे लगाए गए हैं, महोदय यह पौधे ग्रामीणों द्वारा लगाया गया है जिनको काफी मात्रा में पट्टा धारक द्वारा नष्ट किया जा चुका है, और यह बात भी स्पष्ट हो रही है कि अगर पौधरोपण करवाया जाए तो बहुत आसानी से पौधे तैयार हो सकते हैं।

2– खनन पट्टा द्वारा सभी पिलर स्थापित नहीं पाया गया फिर भी आज तक किसी अधिकारी के द्वारा इसे रोकने की कोसिस नहीं की गई।

3– खनन पट्टे से दूरी ग्रामसभा– भगौती देई 150 मीटर व बियाहुर 300 मीटर की दूरी पर स्थित है फिर भी भारी मात्रा में ब्लास्टिंग किया जा रहा है जिससे ग्रामिणों के जान माल का खतरा होने का हमेशा डर बना रहता है कई बार लोंगों को गंभीर चोटें भी आई है।

4– इनके द्वारा पानी का छिड़काव टैंकर के माध्यम से किया जा रहा है ऐसा कहना है अधिकारीयों का लेकिन एक भी टैंकर का फोटो नहीं है साथ ही यह भी कहना की पानी निजी नलकूप से लिया जाता है लेकिन किसके नलकूप स यह नहीं दर्शाया गया है। महोदय इतने के बाद भी विपक्षी किरन देवी पट्टाधारक द्वारा लगाता मानक विपरीत अवैध रुप से खनन कार्य कराया जा रहा है जिससे क्षेत्र में प्रदूषण काफी मात्रा में बढ़ गया है जिससे आस–पास के ग्रामिणों का जीवन मुहाल हो गया है साथ ही सरकारी राजस्व को भी घाटा पहुचाया जा रहा है। जिसे रोका जाना अति आवश्यक है।

प्रार्थना– श्रीमान जी से विनम्र निवेदन है कि मानक विपरीत और अवैध रुप से संचालित हो रहे खनन पट्टा पर तत्काल रोक लगाते हुए पट्टाधारक व इसमें संलिप्त अधिकारीयों/कर्मचारीयों के उपर

भी कठोर  व उचित कार्यवाही करने का कष्ट करें जिससे भविष्य में इसकी पुनर्रावृत्ति न हो सके यही न्यायदार होगा आपकी महान कृपा होगी।

प्रार्थी

मनीष कुमार

मनीष कुमार

ग्राम–बियाहुर, पो0– अधवार, चुनार थाना– अहरौरा मिर्जापुर उ0प्र0

पिन– 231301 मो0– 8090843822